आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 181/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

31/12/20

दाता रासधारी सिंह, पिता–रामधनी सिंह, ग्राम–खोजन, थाना–किंजर, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
66	163	01 कठठा	उत्तर–वेयादर सिंह, यादव दक्षिण–नीज पूरब–अनंत सिंह यादव पश्चिम–नीज

मौजा–खोजन, थाना नं०–220, थाना–किंजर, अंचल–करपी, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, करपी के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया। दाता के तरफ से कोई उपस्थित नही हुए और न किसी के द्वारा आपति दर्ज किया गया। अंचल अधिकारी, करपी के द्वारा जॉच प्रतिवेदन दिनांक 29.12.2020 को समर्पित किया गया।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, करपी के जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर दाता का हस्ताक्षर है। अंचल अधिकारी, करपी ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि सजीवन सिंह, पिता–रामधनी सिंह पर जमाबंदी दर्ज है जो भाई है। रामयतन सिंह, पिता–रामशिस सिहं वर्तमान दखल कब्जा है जो पोता है। भूमि रैयति खाते की है एवं किस्म धनहर है। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ खास, कैसरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, चिरारी आदि से मुक्त है। वर्णित भूमि पर भूदान दान पत्र के समय दाता का दखल कब्जा था।

अतः अंचल अधिकारी, करपी के जॉच प्रतिवेदन एवं भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि की बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 11 के आलोक में संपुष्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

31/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

31/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।